

बजट, 2004-2005 के बजट-पत्रों का संक्षिप्त परिचय

वार्षिक वित्तीय विवरण

संविधान के अनुच्छेद 112 के अधीन प्रत्येक वित्तीय वर्ष के सम्बन्ध में, जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाना होता है। “*वार्षिक वित्तीय विवरण*” नामक यह विवरण मुख्य बजट-दस्तावेज होता है। वार्षिक वित्तीय विवरण में सरकार की प्राप्तियों और अदायगियों को तीन भागों में, जिनमें सरकारी लेखे रखे जाते हैं, दिखाया जाता है। ये भाग इस प्रकार हैं:- (i) समेकित निधि (ii) आकस्मिकता निधि और (iii) लोक लेखा।

2. सरकार को प्राप्त होने वाले सभी राजस्व, सरकार द्वारा लिए जाने वाले ऋणों से और उसके द्वारा दिए गए ऋणों की वसूलियों से प्राप्त धनराशियां “*समेकित निधि*” में दिखाई जाती हैं। सरकार का पूरा स्वर्च समेकित निधि से किया जाता है और संसद की स्वीकृति के बिना इस निधि में से कोई भी रकम नहीं निकाली जा सकती।

3. कभी-कभी ऐसे अवसर भी आ सकते हैं जब सरकार को संसद की स्वीकृति मिलने के पहले ही अत्यावश्यक अप्रत्याशित खर्च करना पड़ता है। इस तरह का खर्च करने के लिए *आकस्मिकता निधि* अग्रदाय के रूप में राष्ट्रपति के पास रहती है। इस तरह के खर्च और समेकित निधि से उतनी ही रकम की निकासी के लिए बाद में संसद की स्वीकृति प्राप्त कर ली जाती है और आकस्मिकता निधि से खर्च की गई धनराशि निधि में वापस डाल दी जाती है। इस समय इस निधि के लिए संसद द्वारा प्राधिकृत कुल राशि 50 करोड़ रुपए है।

4. सरकार की सामान्य प्राप्तियों और व्यय के अतिरिक्त, जिनका सम्बन्ध समेकित निधि से होता है, सरकारी लेखों में कुछ अन्य लेन-देनों जैसे भविष्य निधियों के सम्बन्ध में लेन-देन, अल्प बचत संग्रह, अन्य जमा आदि का हिसाब भी रखा जाता है जिनके सम्बन्ध में सरकार लगभग एक बैंकर के रूप में कार्य करती है। इस तरह जो रकमें प्राप्त होती हैं उन्हें *लोक लेखे* में दिखाया जाता है और सम्बन्धित संवितरण भी इसी में से किया जाता है। आम तौर से *लोक लेखा* निधियां सरकार की नहीं होती, क्योंकि इस धनराशि को किसी न किसी समय उन व्यक्तियों या प्राधिकारियों को, जो इसे जमा कराते हैं, वापस देना होता है। इसलिए *लोक लेखे* से अदायगी करने के लिए संसद की स्वीकृति लेना आवश्यक नहीं होता। कुछ मामलों में, सरकार की आय का कुछ भाग, स्वास्थ्य-स्वास्थ्य कार्यों के लिए, जैसे चीनी विकास के लिए या वाणिज्यिक उपक्रमों में जो मशीनरी आदि पुरानी पड़ गई हो उसके स्थान पर नई मशीनरी लाने आदि के लिए अलग-अलग निधियों में अलग निकाल कर रख लिया जाता है। यह रकम संसद की स्वीकृति लेकर *समेकित निधि* से निकाली जाती है और विशेष कार्यों पर खर्च किए जाने के लिए *लोक लेखा* में जमा रखी जाती है। फिर भी, कार्य-विशेष पर जो खर्च किया जाता है उसे संसद के सम्मुख उसकी स्वीकृति के लिए फिर प्रस्तुत किया जाता है, हालांकि यह रकम निधियों को अन्तर्गत किए जाने के लिए पहले ही संसद द्वारा निर्धारित की हुई होती है।

5. संविधान के अधीन, बजट में राजस्व खाते के व्यय को अन्य व्यय से अलग दिखाना होता है। इसलिए सरकार का बजट (i) राजस्व बजट और (ii) पूंजी बजट, दो भागों में बंटा होता है।

6. **राजस्व बजट** में सरकार को राजस्व (कर-राजस्व और अन्य राजस्व) से होने वाली आय तथा इन राजस्वों से किया जाने वाला व्यय शामिल होता है। कर-राजस्व में संघ द्वारा लगाए गए करों और अन्य शुल्कों से प्राप्त होने वाली प्राप्तियां शामिल होती हैं। वार्षिक वित्तीय विवरण में दर्शाए गए राजस्व प्राप्तियों के अनुमानों में वित्त विधेयक में किए गए कराधान संबंधी प्रस्तावों का प्रभाव शामिल होता है। सरकार की अन्य प्राप्तियों में मुख्यतः उसके द्वारा निवेशित पूंजी पर ब्याज और लाभांश, शुल्क तथा सरकार द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए अन्य प्राप्तियां शामिल होती हैं। राजस्व व्यय सरकारी विभागों और विभिन्न सेवाओं के सामान्य संचालन, सरकार द्वारा लिए गए ऋण के ब्याज प्रभारों, आर्थिक सहायता आदि पर होता है। मोटे तौर पर ऐसा व्यय जिससे किसी परिसम्पत्ति का सृजन नहीं होता, राजस्व व्यय माना जाता है। राज्य सरकारों और अन्य पार्टियों को दिए जाने वाले सभी अनुदान भी राजस्व व्यय माने जाते हैं यद्यपि, ऐसे कुछ अनुदान परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए हो सकते हैं।

7. **पूंजी बजट** में पूंजीगत प्राप्तियां और भुगतान शामिल हैं। पूंजीगत प्राप्तियों की मुख्य मदें ये हैं:- सरकार द्वारा जनता से लिए गए ऋण जिन्हें बाजार ऋण कहा जाता है, राजकोषीय ऋणों की बिक्री के जरिए सरकार द्वारा रिजर्व बैंक और अन्य पक्षों से लिए जाने वाले ऋण, विदेशी सरकारों और संस्थाओं से प्राप्त ऋण और केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों और अन्य पक्षों को दिए गए ऋणों की वसूलियां। पूंजीगत भुगतान में ये मदें शामिल होती हैं:- जमीन, इमारतों, मशीनों, उपकरणों जैसी परिसम्पत्तियों के अधिग्रहण पर किया जाने वाला पूंजी व्यय और शेषों आदि में लगाई जाने वाली पूंजी तथा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों, सरकारी कम्पनियों, निगमों और अन्य पार्टियों आदि को केन्द्रीय सरकार द्वारा दिए जाने वाले ऋण और अग्रिम। पूंजी बजट में लोक लेखे के लेन-देन भी शामिल होते हैं।

लेखाओं का वर्गीकरण

8. वार्षिक वित्तीय विवरण में प्राप्तियों और संवितरणों के अनुमानों तथा अनुदानों की मांगों में व्यय के अनुमान जो संविधान के अनुच्छेद 150 के अन्तर्गत विहित लेखाओं के वर्गीकरण की प्रणाली के अनुसार दिखाए जाते हैं। इस वर्गीकरण का उद्देश्य संसद और जनता को संसाधनों के आवंटन और खर्च करने में सरकार के उद्देश्य को समझने में सहायता देना है।

9. संविधान के अनुसार, खर्च की कुछ मदें, जैसे राष्ट्रपति की परिलब्धियां, राज्य सभा के सभापति और उप-सभापति तथा लोक सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन, भत्ते और पेंशनें, सरकार द्वारा लिए गए ऋणों के ब्याज और उनकी वापसी-अदायगियों और अदालती डिक्रियों के सम्बन्ध में की गई अदायगियां आदि *समेकित निधि* पर भारित होती हैं और इन्हें लोकसभा द्वारा स्वीकृति देने की आवश्यकता नहीं है। वार्षिक वित्तीय विवरण में समेकित निधि पर भारित खर्च को अलग से दिखाया जाता है।

अनुदानों की मांगें

10. वार्षिक वित्तीय विवरण में सम्मिलित तथा लोक सभा द्वारा स्वीकृत किए जाने के लिए अपेक्षित *समेकित निधि* से किए जाने वाले व्यय के अनुमान संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसरण में *अनुदानों की मांगों* के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं। सामान्यतः प्रत्येक मंत्रालय अथवा विभाग के सम्बन्ध में अनुदान की एक मांग प्रस्तुत की जाती है। लेकिन बड़े मंत्रालयों या विभागों के सम्बन्ध में एक से अधिक मांगें प्रस्तुत की जाती हैं। प्रायः प्रत्येक मांग में एक सेवा के लिए आवश्यक कुल व्ययस्था दी गई होती है अर्थात् इसमें राजस्व से किया जाने वाला व्यय, पूंजी व्यय,

राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को दिए जाने वाले अनुदान और उस सेवा के सम्बन्ध में ऋणों और अग्रिमों के लिए की गई व्यवस्था शामिल होती है। विधानमंडल रहित संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में ऐसे प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक अलग मांग पेश की जाती है। जिन मामलों में किसी सेवा से संबद्ध व्यवस्था पूर्ण रूप से समेकित निधि पर भारित व्यय के लिए होती है, जैसे ब्याज की अदायगियां, तो उस व्यय के लिए, मांग से बिल्कुल भिन्न, एक अलग विनियोग प्रस्तुत किया जाता है और उस पर संसद द्वारा स्वीकृति लिए जाने की आवश्यकता नहीं होती। किन्तु किसी ऐसे सेवा व्यय के मामले में, जिसमें *स्वीकृत* एवं *भारित* दोनों मदें शामिल हों, उस सेवा के लिए प्रस्तुत की जाने वाली मांग में भारित व्यय भी शामिल कर लिया जाता है लेकिन *स्वीकृत* और *भारित* व्यवस्थाएं उस मांग में अलग-अलग दिखाई जाती हैं।

11. अनुदानों की मांगें वार्षिक वित्तीय विवरण के साथ लोक सभा में प्रस्तुत की जाती हैं। प्रत्येक मांग में पहले स्वीकृत और भारित व्यय तथा साथ ही मांग में सम्मिलित राजस्व और पूंजी व्यय के अलग-अलग जोड़ दिखाए जाते हैं तथा इसके अलावा जिस स्वर्च के लिए मांग प्रस्तुत की जाती है उसका कुल जोड़ भी इसमें दिखाया जाता है। इसके बाद विभिन्न मुख्य लेखा शीर्षों के अन्तर्गत व्यय के अनुमान दिए जाते हैं। प्रत्येक मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत व्यय का आयोजना और आयोजना-भिन्न, अलग-अलग विवरण भी दिया जाता है। लेखों में व्यय में से घटाई गई वसूलियां भी दिखाई जाती हैं। पुस्तक के प्रारम्भ में अनुदानों की मांगों का सारांश दिया जाता है जबकि इसके अंत में नई सेवा अथवा नई सेवा के साधनों जैसे कि नई कम्पनी, उपक्रम का निर्माण अथवा नई योजना का शुरु किया जाना आदि, का विवरण दिया जाता है।

वित्त विधेयक

12. संसद द्वारा अनुमोदित अवधि के आगे नए कर लगाने, विद्यमान कर ढांचे के संशोधन अथवा विद्यमान कर ढांचे को जारी रखने से संबंधित सरकार के प्रस्तावों को *वित्त विधेयक* के जरिए संसद में प्रस्तुत किया जाता है।

13. संविधान की शर्तों के अनुसार प्रस्तुत किए जाने वाले बजट दस्तावेजों के संबंध में कुछ विशेष कानूनी और प्रक्रियात्मक आवश्यकताएं पूरी करनी होती हैं और इसलिए केवल उनके द्वारा बजट की प्रमुख विशेषताओं का स्पष्ट संकेत नहीं दिया जा सकता। बजट के सरल बोध को सुविधाजनक बनाने के लिए बजट के साथ कतिपय व्याख्यात्मक दस्तावेज प्रस्तुत किए जाते हैं।

बजट का सार

14. बजट का सार नामक पुस्तक में, कर-राजस्व और अन्य प्राप्तियों के विस्तृत ब्यौरे के साथ-साथ, प्राप्तियों और भुगतानों का संक्षिप्त विवरण दिया गया है। इस पुस्तक में व्यय, आयोजना और आयोजना-भिन्न, का विस्तृत विवरण, आयोजना परिव्यय का क्षेत्रवार तथा मंत्रालय/विभाग वार आवंटन और केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को अन्तरित किए गए साधनों का ब्यौरा भी दिया गया है। इस पुस्तक में राजस्व घाटा, मूल सकल घाटा और केन्द्रीय सरकार का सकल राजकोषीय घाटा भी दिखाया जाता है। सरकार की राजस्व प्राप्तियों की तुलना में अधिक राजस्व व्यय सरकार का राजस्व घाटा होता है। सरकार मुख्यतः दिनांकित प्रतिभूतियों अर्थात् बाजार उधारों के माध्यम से उधार लेती है। इसके अतिरिक्त सरकार कई स्कीमों के अधीन भी उधार लेती है, जो पूंजी प्राप्तियों का भाग बनता है। एक ओर, राजस्व, पूंजी और वापसी-अदायगियों को घटाकर ऋणों के द्वारा सरकार के कुल व्यय और दूसरी ओर, सरकार की राजस्व प्राप्तियां और पूंजी प्राप्तियां, जिनका स्वरूप उधार का नहीं होता परन्तु जो अन्तिम रूप से सरकार को प्राप्त होती हैं, के बीच का अन्तर सकल राजकोषीय घाटा होता है।

मूल सकल घाटा सकल ब्याज अदायगियों को घटाकर सकल राजकोषीय घाटे द्वारा मापा जाता है। बजट पत्रों में 'सकल राजकोषीय घाटे' और 'सकल मूल घाटे' को क्रमशः 'राजकोषीय घाटे' और 'मूल घाटे' के संक्षिप्त रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

व्यय बजट, खंड-1

15. व्यय बजट, खंड 1 में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के राजस्व तथा पूंजी संवितरणों का ब्यौरा तथा इनमें से प्रत्येक के सम्बन्ध में आयोजना और आयोजना-भिन्न के अन्तर्गत अनुमानों की जानकारी दी गई है। इसमें विभिन्न प्रकार के व्यय का विश्लेषण भी किया जाता है और अनुमानों में हुई घट-बढ़ के मुख्य कारण बताए जाते हैं।

16. लेखा तथा बजट संबंधी वर्तमान प्रणाली के अन्तर्गत कुछेक प्रकार की प्राप्तियों को जैसे एक विभाग द्वारा दूसरे विभाग को की गई अदायगी और पूंजी परियोजनाओं या योजनाओं से होने वाली आय को उस विभाग के खर्च में से जिसे यह रकम मिलेगी, घटा दिया जाता है। अनुदानों की मांगों में व्यय के जो अनुमान दिए गए हैं वे सकल व्यय के अनुमान हैं जबकि वार्षिक वित्तीय विवरण में दिए गए अनुमान, जैसाकि लेखाओं से पता चलता है, निवल व्यय के अनुमान होते हैं, अर्थात् इसमें से वसूलियों को घटा दिया जाता है। व्यय बजट पुस्तक में कतिपय अन्य शोधन भी किए गए हैं जैसे संबंधित प्राप्तियों का व्यय घटाना ताकि प्राप्तियों और व्यय के आंकड़ों को बढ़ने से रोका जा सके और विभिन्न व्यय की मात्रा का बेहतर मूल्यांकन हो सके। अलग-अलग अनुबन्धों में, केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गई गारंटियों, जो मार्च, 2003 के अन्त तक बकाया थीं, तथा अन्तर्राष्ट्रीय निकायों को किए गए अंशदानों को दर्शाया गया है। इस पुस्तक में विभिन्न सरकारी विभागों की स्थापना की अनुमानित संख्या और उनके लिए की गई व्यवस्था दर्शाने वाला एक विवरण भी शामिल किया गया है।

व्यय बजट, खंड-2

17. किसी स्कीम या कार्यक्रम के लिए की गई व्यवस्थाएं किसी अनुदान मांग के राजस्व और पूंजी मांगों में कई मुख्य शीर्षों में हो सकती हैं। व्यय बजट खंड 2 में किसी स्कीम/कार्यक्रम के लिए किए गए अनुमानों को इकट्ठा किया गया है और मुख्य शीर्षों द्वारा निवल आधार पर एक स्थान पर दर्शाया गया है। अनुदान मांगों में विभिन्न स्कीमों, कार्यक्रमों आदि के लिए प्रस्तावित व्यय के अन्तर्निहित उद्देश्यों को समझने के लिए इस खंड में समुचित व्याख्यात्मक टिप्पणियां शामिल की गई हैं, जिनमें जहां भी आवश्यक है अनुमानों में अन्तर के लिए संक्षिप्त कारण भी दिए गए हैं।

प्राप्ति बजट

18. वार्षिक वित्तीय विवरण में शामिल प्राप्तियों के अनुमानों का आगे और विश्लेषण प्राप्ति बजट नामक पुस्तक में किया गया है। इस पुस्तक में राजस्व प्राप्तियों और पूंजी प्राप्तियों का ब्यौरा दिया जाता है और अनुमानों को स्पष्ट किया जाता है। प्राप्तियों की पिछले वर्षों की प्रवृत्तियों और प्राप्त हुई विदेशी सहायता का ब्यौरा भी इसमें दिया जाता है।

19. वित्त विधेयक में दिए गए कराधान संबंधी प्रस्तावों को समझने में सुविधा देने के लिए, विधेयक की व्यवस्थाओं को वित्त विधेयक में व्यवस्थाओं का व्याख्यात्मक ज्ञापन नामक पुस्तक में स्पष्ट किया जाता है।

अनुदानों की ब्यौरेवार मांगें

20. बजट प्रस्तुत करने के कुछ समय के बाद अनुदानों की मांगों के पश्चात् अनुदानों की ब्यौरेवार मांगें लोक सभा के पटल पर रखी जाती हैं लेकिन ये अनुदानों की मांगों पर चर्चा से पूर्व

रखी जाती हैं। अनुदानों की इन ब्यौरेवार मांगों में अनुदानों की मांगों में शामिल व्यवस्था और इसके साथ-साथ पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान वास्तविक व्यय के ब्यौरे दिए जाते हैं। प्रत्येक कार्यक्रम/संगठन, जिनके लिए व्यय की राशि 10 लाख रुपए से कम नहीं है, से संबंधित अनुमानों का ब्यौरा कई शीर्षों के अन्तर्गत दिया जाता है जैसे वेतन, मजदूरी, यात्रा व्यय, सामग्री तथा उपस्कर, सहायता अनुदान आदि, जो उस कार्यक्रम पर किए गए व्यय के स्वरूप और श्रेणियों को विनिर्दिष्ट करता है। इन ब्यौरेवार मांगों के अन्त में स्वातंत्र्य में व्यय को घटाकर दी गई वसूलियों का ब्यौरा दिखाया जाता है। मुख्य कार्यक्रमों और स्कीमों के वास्तविक और वित्तीय पहलुओं को कार्य-निष्पादन बजटों में शामिल किया जाता है, जो मंत्रालय/विभागों द्वारा संसद में अलग से प्रस्तुत किए जाते हैं।

राज्यों को अन्तरित साधन

21. राज्य सरकारों को विभिन्न आयोजना और आयोजना-भिन्न प्रयोजनों के लिए अनुदान और ऋण प्रदान किए जाते हैं। इसके अलावा, केन्द्रीय सरकार द्वारा संग्रहीत कर-राजस्व की काफी बड़ी राशि भी राज्य सरकारों को अन्तरित की जाती है। कुछ राज्यों को वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार उनके राजस्व साधनों की कमी को पूरा करने के लिए अनुदान भी दिए जाते हैं। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरित कुल साधनों की जानकारी बजट का सार नामक पुस्तक में एक विवरण में दी गई है। करों, सहायता अनुदानों और ऋणों के रूप में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरित की जाने वाली राशियों का और अधिक ब्यौरा व्यय बजट, खंड-1 में दिया गया है। अधिकांश अनुदान तथा ऋण, वित्त एवं कंपनी कार्य मंत्रालय द्वारा संवितरित किए जाते हैं और ये इस मंत्रालय की ओर से प्रस्तुत की जाने वाली "राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अन्तरण" नामक मांग में शामिल होते हैं। जो अनुदान और ऋण अन्य मंत्रालयों/विभागों द्वारा दिए जाते हैं, उनके लिए उन मंत्रालयों/विभागों की मांगों में व्यवस्था की जाती है।

आयोजना परिव्यय

22. केन्द्रीय सरकार के कुल व्यय में आयोजना व्यय का अनुपात काफी अधिक होता है। विभिन्न मंत्रालयों की अनुदानों की मांगों में, प्रत्येक शीर्ष के अन्तर्गत आयोजना व्यय को आयोजना-भिन्न व्यय से अलग दिखाया जाता है। व्यय बजट, खंड-1 में प्रत्येक मंत्रालय के कुल आयोजना स्वरूप को विभिन्न विकास शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया गया है और आयोजना के अधिक महत्वपूर्ण कार्यक्रमों और योजनाओं के लिए बजट में की गई स्वरूप की व्यवस्था को स्पष्ट करके दिखाया गया है। योजना में शामिल किए गए उद्देश्यों, लक्ष्यों तथा उपलब्धियों के साथ-साथ महत्वपूर्ण स्कीमों का विस्तृत विवरण संबंधित मंत्रालय के निष्पादन बजट में दिया गया है। इस पुस्तक में योजना व्यय के अनुमानों में विभिन्नता भी दी गयी है।

निष्पादन बजट

23. विकासात्मक कार्यकलापों से संबंधित सभी मंत्रालयों/विभागों द्वारा निष्पादन बजट तैयार करके संसद सदस्यों को परिचालित किए जाते हैं। निष्पादन बजट, कार्यों, कार्यक्रमों और कार्यकलापों के संबंध में मंत्रालय/विभाग का बजट प्रस्तुत करता है और यह केन्द्रीय क्षेत्र की प्रमुख परियोजनाओं/कार्यक्रमों, जिनकी लागत 100 करोड़ रुपये अथवा इससे अधिक अनुमानित है, के संबंध में अलग से मूल्यांकन रिपोर्टें देता है। इसमें मंत्रालय/विभाग के अधीन विभिन्न सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यक्रमों और निष्पादन पर एक विवरण भी शामिल होता है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ स्थापित और उपयोग की गई क्षमता, वास्तविक लक्ष्यों और उपलब्धियों,

प्रचालन परिव्यय, पूंजी पर आय आदि को निर्दिष्ट किया जाता है। निष्पादन बजट विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में प्रशासनिक और वित्तीय नियंत्रण के एक साधन के रूप में प्रबन्धक का काम करता है।

सरकारी क्षेत्र के उद्यम

24. केन्द्रीय सरकार द्वारा किए जाने वाले आयोजना- व्यय का अधिकांश भाग सरकारी क्षेत्र के उद्यमों पर स्वर्च होता है। सरकार द्वारा इन उद्यमों के परिव्यय की वित्त-व्यवस्था के लिए उनकी शेयर पूंजी में धन लगाकर या उन्हें ऋण देकर बजटीय सहायता दी जाती है। व्यय बजट, खंड I में सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को 2003-2004 और 2004-2005 में आयोजना और आयोजना-भिन्न प्रयोजनों के लिए दी गई पूंजी और दिए गए ऋणों के अनुमानों और इन उद्यमों को अपनी आयोजनाओं के वित्तपोषण के लिए उपलब्ध बजट-बाह्य साधनों का ब्यौरा दिया गया है। सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के कार्यचालन पर एक ब्यौरेवार रिपोर्ट सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की समीक्षा नामक पुस्तक में दी गई है, जो सरकारी उद्यम विभाग द्वारा अलग से प्रकाशित की गई। विभिन्न प्रशासनिक मंत्रालयों के नियंत्रण के अधीन उद्यमों के कार्यचालन की रिपोर्ट विभिन्न मंत्रालयों की वार्षिक रिपोर्टों में भी दी गई है, जो संसद सदस्यों को अलग से प्रचालित की गई थी। प्रत्येक सरकारी कम्पनी की वार्षिक रिपोर्ट और लेखापरीक्षित स्वाते अलग से संसद के सभा पटल पर रखे जाते हैं। इसके अलावा, विभिन्न सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के कार्यचालन पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट भी संसद के सभापटल पर रखी जाती है।

वाणिज्यिक विभाग

25. रेलवे सरकार द्वारा विभागीय रूप से चलाया जाने वाला प्रमुख वाणिज्यिक उपक्रम है। रेलवे का बजट और रेल व्यय से संबंधित अनुदानों की मांगें संसद में अलग से प्रस्तुत की जाती हैं। रेलवे की कुल प्राप्तियों और व्यय को भारत सरकार के वार्षिक वित्तीय विवरण में शामिल किया जाता है। लेकिन, वास्तविक कार्य प्रणाली को प्रदर्शित करने और प्राप्तियों अथवा व्यय को न बढ़ाने के लिए, प्राप्ति बजट और व्यय बजट स्पण्ड-1 और स्पण्ड-2 में दिखाया गया व्यय, प्राप्तियों को घटाकर लिया गया है। दूर-संचार विभाग की अनुदानों की मांगें केन्द्रीय सरकार की अन्य अनुदानों की मांगों के साथ प्रस्तुत की जाती हैं।

26. वार्षिक वित्तीय विवरण में दर्शाई गई रक्षा विभाग की प्राप्तियों और व्यय को रक्षा सेवाओं के अनुमानों के प्रलेख में अधिक विस्तृत रूप से बताया जाता है, जो रक्षा मंत्रालय की ब्यौरेवार अनुदानों की मांगों से साथ प्रस्तुत किए जाते हैं।

27. राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों के अलावा निकायों को दिए गए अनुदानों के ब्यौरे गैर-सरकारी निकायों को अदा किए गए सहायता अनुदानों के विवरणों में दिए गए हैं, जो विभिन्न मंत्रालयों के ब्यौरेवार अनुदानों की मांगों के साथ संलग्न होते हैं। व्यय बजट, खंड 1 के अनुबन्ध 6 में 5 लाख रुपए (आवर्ती) अथवा 10 लाख (अनावर्ती) से अधिक के उन सहायता-अनुदानों का विवरण दिया गया है जो गैर-सरकारी संस्थाओं, संगठनों और व्यक्तियों को 2002-2003 में मंजूर किए गए थे।

वार्षिक रिपोर्ट

28. वर्ष 2003-2004 के दौरान प्रत्येक मंत्रालय/विभाग के कार्यकलापों का विस्तृत लेखा वार्षिक रिपोर्ट प्रलेख में दिया जाता है, जो प्रत्येक मंत्रालय/विभाग द्वारा अलग से तैयार किया

जाता है और संसद सदस्यों को अनुदानों की मांगों पर विचार-विमर्श के समय परिचालित किया जाता है।

आर्थिक समीक्षा

29. केन्द्रीय सरकार का बजट मात्र प्राप्तियों और व्यय का विवरण नहीं है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् पंचवर्षीय योजना शुरू किए जाने से यह सरकारी नीति का एक महत्वपूर्ण विवरण भी बन गया है। बजट देश के आर्थिक-जीवन को प्रतिबिम्बित करता है और उसे स्वरूप प्रदान करता है और साथ ही देश के आर्थिक जीवन के अनुरूप उसका निर्धारण किया जाता है। आर्थिक समीक्षा में देश की आर्थिक प्रवृत्तियों को प्रदर्शित किया जाता है, जिससे बजट में संसाधन जुटाने और उनके आवंटन का बेहतर मूल्यांकन करने में सुविधा होती है। आर्थिक समीक्षा कृषि और औद्योगिक उत्पादन, मुद्रा आपूर्ति, कीमतों, आयातों और निर्यातों और ऐसे अन्य संगत आर्थिक कारकों से संबंधित प्रवृत्तियों का विश्लेषण करती है, जिसका बजट पर प्रभाव पड़ता है।

30. सरकार के बजट का अर्थ-व्यवस्था पर समग्र रूप से प्रभाव पड़ता है। सरकारी प्राप्तियों में बढ़ोतरी और व्यय का अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों पर प्रभाव के बेहतर मूल्यांकन के लिए यह जरूरी है कि उन्हें आर्थिक आकार के रूप में समूहबद्ध किया जाए, उदाहरणार्थ पूंजी-निर्माण के लिए अलग से कितना रखा गया है, सरकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से कितना स्पर्च किया है, सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था में अन्य क्षेत्रों को अनुदानों, ऋणों आदि के रूप में कितना अंतरित किया गया है। यह विश्लेषण केन्द्रीय सरकार के बजट के **आर्थिक और कार्यचालन वर्गीकरण प्रलेख** में किया गया है, जो वित्त मंत्रालय द्वारा अलग से तैयार किया जाता है।

विनियोग विधेयक

31. लोक सभा द्वारा अनुदानों की मांगों के पारित होने के बाद, इस प्रकार पारित राशियों और समेकित निधि पर भारित व्यय को पूरा करने के लिए अपेक्षित राशि को **समेकित निधि** से निकालने की संसद की स्वीकृति विनियोग विधेयक के माध्यम से मांगी गई है। संविधान के अनुच्छेद 114(3) के अन्तर्गत संसद द्वारा ऐसा कानून बनाए बिना कोई भी राशि समेकित निधि से नहीं निकाली जा सकती।

32. बजट प्रस्तुत करने से लेकर अनुदान मांगों पर बहस एवं मतदान की सम्पूर्ण प्रक्रिया के लिए पर्याप्त लंबी अवधि की आवश्यकता होती है। अतः लोकसभा को संविधान द्वारा मांगों के पारित होने की प्रक्रिया पूर्ण होने तक वित्तीय वर्ष के एक भाग के लिए अनुमानित व्यय के संबंध में अग्रिम स्वीकृति के लिए शक्ति प्रदान की गई है। 'लेखानुदान' का उद्देश्य 'अंतिम आपूर्ति' की स्वीकृति होने तक सरकार के क्रियाकलाप को जारी रखना है। विनियोग (लेखानुदान) विधेयक के माध्यम से संसद से लेखानुदान मांगा जाता है।

बजट में की गई घोषणाओं पर की गई कार्रवाई का विवरण

33. इसमें वित्त मंत्री द्वारा पहले घोषित पहलों की स्थिति विहित है।

अनुक्रमणिका

	पैराग्राफ संख्या
लेखाओं का वर्गीकरण	8
वार्षिक वित्तीय विवरण	1, 6, 8, 9, 11, 16, 18, 25, 26
वार्षिक रिपोर्ट	24, 28
विनियोग	10
विनियोग विधेयक	31, 32
विनियोग (लेखानुदान) विधेयक	32
बजट एक नजर में	14, 21
बजट/केन्द्रीय सरकार का बजट	1, 5, 17, 20, 23, 24, 25, 29, 30
पूँजी बजट	5, 7
भारित व्यय	9, 10, 11, 31
समेकित निधि	1, 2, 4, 9, 10, 31
आकस्मिकता निधि	1, 3
रक्षा सेवाओं के अनुमान	26
अनुदानों की मांगें	8, 10, 11, 16, 17, 20, 22, 25, 28, 31, 32
अनुदानों की ब्योरेवार मांगें	20, 26, 27
केन्द्रीय सरकार के बजट का आर्थिक और कार्य संबंधी वर्गीकरण	30
आर्थिक समीक्षा	29
व्यय बजट	15, 17, 21, 22, 24, 27
विदेशी सहायता	18
बजट बाह्य संसाधन	24
वित्त विधेयक	6, 12, 19
राजकोषीय घाटा	14
सहायता - अनुदान	20, 21, 27
केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गई गारंटियां	16
अन्तर्राष्ट्रीय निकायों में अंशदान	16
बाजार ऋण	7
वित्त विधेयक में की गई व्यवस्था का व्याख्यात्मक ज्ञापन	19
नई सेवा	11
निष्पादन बजट	20, 22, 23
आयोजना परिव्यय	14, 22
लोक लेखा	1, 4, 7
सरकारी उद्यम समीक्षा	24
सरकारी क्षेत्र के उद्यम	23, 24
रेलवे	25
प्राप्ति बजट	18
राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरित संसाधन	14, 21
राजस्व बजट	5, 6
राजस्व घाटा	14
बजट में की गई घोषणाओं पर की गई कार्रवाई का विवरण	33
सरकारी विभागों की स्थापना की संख्या	16
अनुदानों की मांगों का सारांश	11
राजकोषीय हुंडिया	7
लेखानुदान	32

website: <http://indiabudget.nic.in>